क.

सुनील कुमार जैन और अन्य

वी.

सुंदरेश भट्ट और अन्य (2019 की सिविल अपील संख्या 5910)

अप्रैल 19,2022

[एम**.** आर**.** शाह और अनिरुद्ध बोस**,** जे**.** जे**.]**

दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016-ss.5(13), 36(4), 53(1)(ख) और (ग)-निगम दिवाला समाधान प्रक्रिया (सी. आई. आर. पी.) से जुड़ी अवधि के लिए मजदूरी/वेतन और संबंधित कर्मचारियों/कर्मचारियों को पेंशन कोष, ग्रेच्युटी कोष और भविष्य निधि के लिए देय और देय राशि के संबंध में दहेज यार्ड और मुंबई में काम करने वाले निगम ऋणदाता के अपीलकर्ताओं-श्रमिकों/कर्मचारियों का दावा-आयोजितःएस के निष्पक्ष पठन पर।5(13) आई. बी. संहिता जो "दिवाला समाधान प्रक्रिया लागत" को परिभाषित करती है, केवल उन श्रमिकों/कर्मचारियों के वेतन/वेतन के प्रति बकाया जो वास्तव में सी. आई. आर. पी. के दौरान काम करते थे, उन्हें सी. आई. आर. पी. लागत में शामिल किया जाना है-श्रमिकों/कर्मचारियों के वेतन/वेतन के प्रति शेष दावे एस. एस. द्वारा नियंत्रित किए जाएंगे।53(1)(बी) और (सी) आईबी कोड-इसके अलावा, एस पर विचार करना। 36(4) आई. बी. संहिता और जब भविष्य निधि, उपदान निधि और पेंशन निधि को परिसमापन संपदा परिसंपत्तियों से बाहर रखा जाता है, तो श्रमिकों के बकाया के हिस्से को परिसमापन प्रक्रिया से बाहर रखा जाएगा और संबंधित श्रमिकों/कर्मचारियों को ऐसे भविष्य निधि, उपदान निधि और पेंशन निधि, यदि कोई हो, से उसी का भुगतान करना होगा और परिसमापक का ऐसी निधियों पर कोई दावा नहीं होगा-वर्तमान मामले में, ऐसे विवादित प्रश्न हैं कि क्या वास्तव में आई. आर. पी./आर. पी. ने सी. आई. आर. पी. के दौरान एक चालू संस्था के रूप में निगमित देनदार के संचालन का प्रबंधन किया था और इस बात पर गंभीर विवाद है कि दहेज यार्ड सी. आई. आर. पी. के दौरान चालू था या नहीं और दहेज यार्ड और मुंबई के संबंधित कर्मचारी/कर्मचारी।

ग

डी.

ई.

च

जी.

एच.

दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016।3 (36), 5 (13) & (14), 17, 20, 25, 33 (7), 36 (4), 53(1)(क), (ख) और (ग)-कंपनी अधिनियम, 1956-एस. एस.59 ए, 529 ए (1) (सी), 530-कंपनी अधिनियम, 2013-एस.326, 327 – भविष्य निधि, उपदान और पेंशन निधि के लिए देय और देय राशि सहित मजदूरी/वेतन के लिए श्रमिकों/कर्मचारियों के बकाया के संबंध में विधायी इतिहास-चर्चा की गई।दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016।36(4), 53 – आयोजित किया गयाःआईबी संहिता के तहत, श्रमिकों के बकाया को विधिवत संरक्षित किया गया है और भविष्य निधि, उपदान और पेंशन निधि को परिसमापन संपदा परिसंपत्तियों से बाहर रखा गया है।36(4)] – इसके अलावा, एस के अनुसार।53 आई. बी. संहिता के अनुसार, श्रमिकों के बकाया को जलप्रपात तंत्र में सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाती है।

ग

दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016।5(13), 20, 53(1)(क)-आयोजितःएस के अनुसार इस पर विवाद नहीं किया जा सकता है।5(13), “दिवाला समाधान प्रक्रिया लागत "में समाधान पेशेवर द्वारा कॉर्पोरेट देनदार के व्यवसाय को चलाने में होने वाली कोई भी लागत शामिल होगी-यह भी सच है कि एस।20 यह आदेश दिया गया है कि अंतरिम समाधान पेशेवर/समाधान पेशेवर एक चालू चिंता के रूप में कॉर्पोरेट देनदार के संचालन का प्रबंधन करने के लिए है और यदि सी. आई. आर. पी. के दौरान कॉर्पोरेट देनदार एक चालू चिंता का विषय था, तो ऐसे श्रमिकों/कर्मचारियों के वेतन/वेतन जो वास्तव में काम करते थे, सी. आई. आर. पी. लागतों में शामिल किए जाएंगे और कॉर्पोरेट देनदार के परिसमापन के मामले में, ऐसे श्रमिकों/कर्मचारियों के वेतन और वेतन के लिए बकाया जो वास्तव में तब काम करते थे जब कॉर्पोरेट देनदार सी. आई. आर. पी. के दौरान एक चालू संस्था थी, सी. आई. आर. पी. लागत का एक हिस्सा होने के नाते पहली प्राथमिकता के हकदार हैं और उन्हें एस. के अनुसार पहले पूरा भुगतान करना होगा।53(1)(क)-इसलिए, सी. आई. आर. पी. के दौरान देय मजदूरी/वेतन के प्रति संबंधित श्रमिकों/कर्मचारियों के दावों पर विचार करते समय, सबसे पहले यह स्थापित करना होगा और यह साबित करना होगा कि सी. आई. आर. पी. के दौरान, निगमित ऋणी एक चालू चिंता थी और यह कि संबंधित कर्मचारी/कर्मचारी वास्तव में काम करते थे, जबकि निगमित ऋणी सी. आई. आर. पी. के दौरान एक चालू चिंता थी-अपीलकर्ताओं की याचिका कि आर. पी. के रूप में निगमित ऋणी के संचालन का प्रबंधन करने के लिए अधिदेशित है।20 और इसलिए यह माना जाना चाहिए कि आर. पी. ने कॉर्पोरेट ऋणदाता के संचालन को एक चालू चिंता के रूप में प्रबंधित किया और इस प्रकार, श्रमिक/कर्मचारी सी. आई. आर. पी. के दौरान अपने वेतन और वेतन के हकदार हैं, क्योंकि उनके वेतन/वेतन को शामिल किया जाना है।

डी.

ई.

च

जी.

एच.

सी. आई. आर. पी. लागतों में, स्वीकार्य नहीं है-हालाँकि, पूर्व-सी. आई. आर. पी. अवधि के श्रमिकों/कर्मचारियों के वेतन और वेतन को एस. में उल्लिखित प्राथमिकताओं के अनुसार नियंत्रित करना होगा।53(1).

स्विस रिबन्स प्राइवेट लिमिटेड बनामभारत संघ **(2019) 4** एससीसी **17:[2019] 3** एस**.** सी**.** आर**. 535;** गुजरात ऊर्जा विकास निगम

लिमिटेड बनाम अमित गुप्ता (2021) 7 एस. सी. सी. 209-संदर्भित।निर्णीत विधि संदर्भ

संदर्भित किया गया है

पैरा **6.5**

(2021) 7 एससीसी **209**

संदर्भित किया गया है

पैरा **6.5**

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः2019 की सिविल अपील संख्या 5910।

ग

2019 की कंपनी अपील (एटी) (दिवाला) संख्या 605 में नई दिल्ली में राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण के दिनांक 31.05.2019 के निर्णय और आदेश से।

सुश्री शोभा राममूर्ति, जे. थलपति श्रीराम, शिल्प विनोद, पुश्किन राजकुमार, सुश्री विन्सी जॉर्ज, नवाज शरीफ, अधिवक्ता। अपीलार्थियों के लिए।

डी.

नकुल दीवान, वरिष्ठ अधिवक्ता, अभिषेक शर्मा, एशली चेरियन, कमलेंद्र प्रताप सिंह, गौतम तालुकदार, दिनेश त्रिपाठी, प्रदीप कुमार जैसवाल, सुश्री सुंदरी, परमिंदर सिंह भुल्लर, योगेश पचौरी, संजय कुमार त्यागी, मेसर्स सिरिल अमरचंद मंगलदास, अधिवक्ता।उत्तरदाताओं के लिए।

ई.

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

एम**.** आर**.** शाह**,** जे**.**

च

1. 2019 की कंपनी अपील (दिवाला) संख्या 605 में राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण, नई दिल्ली (जिसे इसके बाद 'अपीलीय न्यायाधिकरण' के रूप में संदर्भित किया गया है) द्वारा पारित दिनांक 31.05.2019 के विवादित आदेश से व्यथित और असंतुष्ट महसूस करते हुए, जिसके द्वारा अपीलीय न्यायाधिकरण ने अपीलकर्ताओं द्वारा दी गई उक्त अपील को खारिज कर दिया है-दहेज और मुंबई में काम करने वाले मेसर्स एबीजी शिपयार्ड लिमिटेड (जिसे इसके बाद 'कॉर्पोरेट देनदार' के रूप में संदर्भित किया गया है) के कर्मचारी/कर्मचारी, जिसे राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण, अहमदाबाद पीठ, अहमदाबाद (जिसे इसके बाद 'न्यायनिर्णायक प्राधिकरण' के रूप में संदर्भित किया गया है) द्वारा पारित आदेश के खिलाफ दायर किया गया था।

जी.

एच.

321

सुनील कुमार जैन और अन्य बनाम सुंदरेश भट्ट और अन्य [एम. आर. शाह, जे.] ए.

प्रक्रिया '(इसके बाद' सी. आई. आर. पी. 'के रूप में संदर्भित) और पूर्व अवधि, मूल आवेदकों-श्रमिकों/कर्मचारियों ने वर्तमान अपील को प्राथमिकता दी है।

2. कि कॉर्पोरेट देनदार एक निजी क्षेत्र का जहाज निर्माण यार्ड था जिसकी निर्माण गतिविधियाँ गुजरात के दहेज यार्ड और सूरत यार्ड में थीं और इसका कॉर्पोरेट कार्यालय मुंबई में था।सी. आई. आर. पी. की शुरुआत से पहले, कॉरपोरेट देनदार के दहेज में 562 कर्मचारी और 93 कर्मचारी थे; सूरत में 291 कर्मचारी और 99 कर्मचारी और इसके मुंबई मुख्य कार्यालय में 101

कर्मचारी थे।इसमें अपीलकर्ता मुंबई मुख्य कार्यालय और कॉर्पोरेट ऋणदाता के दहेज यार्ड में कार्यरत 272 कर्मचारी और कर्मचारी हैं।सूरत यार्ड के 201 कर्मचारियों और श्रमिकों में से कोई भी इसमें अपीलार्थी नहीं है।

ग

3. अपने दिनांक 1.8.2017 के आदेश के माध्यम से, न्यायनिर्णायक प्राधिकरण ने दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 (इसके बाद 'आई. बी. सी. संहिता' के रूप में संदर्भित) की धारा 7 के तहत एक आवेदन स्वीकार किया और सी. आई. आर. पी. शुरू किया गया।न्यायनिर्णायक प्राधिकरण ने निगमित ऋणदाता के अंतरिम समाधान पेशेवर को भी नियुक्त किया, जिसे बाद में निगमित ऋणदाता की समिति (संक्षेप में, 'सी. ओ. सी.') द्वारा समाधान पेशेवर (संक्षेप में, 'आर. पी.') के रूप में पुष्टि की गई।सी. ओ. सी. की पहली बैठक 4.9.2017 पर हुई थी।

डी.

3.1 <आई. डी. 1 पर, 2017 का कंपनी आवेदन संख्या 348 न्यायनिर्णायक प्राधिकरण के समक्ष दायर किया गया था, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ समाधान पेशेवर को कर्मचारियों और श्रमिकों को भुगतान करने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया था।9.3.2018 पर, अपीलकर्ताओं ने न्यायनिर्णायक प्राधिकरण के समक्ष कंपनी आवेदन संख्या 348/2017 में 2018 का कंपनी आवेदन संख्या 78 दायर किया, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ आर. पी. को भारतीय तटरक्षक बल से प्राप्त होने वाली रु. 9,75,33,236/- की राशि का उपयोग केवल कर्मचारियों/कर्मचारियों के लिए करने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया।

ई.

च

3.2 कंपनी आवेदन संख्या 78/2018 में पारित दिनांक 25.04.2018 के आदेश के माध्यम से, न्यायनिर्णायक प्राधिकरण ने आर. पी. को कंपनी आवेदन संख्या 348/2017 के परिणाम के अधीन न्यायनिर्णायक प्राधिकरण की रजिस्ट्री में रु. 2,75,00,000/- जमा करने का निर्देश दिया।इस बीच, 08.12.2017 पर आयोजित सी. ओ. सी. की चौथी बैठक में, न्यायनिर्णायक प्राधिकरण द्वारा अपने दिनांकित 01.12.2017 के आदेश के माध्यम से पारित निर्देशों को देखते हुए क्रमशः कर्मचारियों/श्रमिकों के वेतन/मजदूरी के भुगतान के संबंध में चर्चा की गई।हालाँकि, इस मुद्दे का समाधान नहीं किया गया और उसके बाद अपीलकर्ताओं ने उपरोक्त आई. ए. नं.

जी.

एच.

78/2018 जिसमें न्यायनिर्णायक प्राधिकरण ने रुपये जमा करने का निर्देश दिया। अपीलार्थियों को बकाया वेतन/मजदूरी के वितरण के लिए एन. सी. एल. टी. की रजिस्ट्री के साथ कुल 2 करोड़ 75 लाख रुपये में से 236 करोड़ रुपये, आई. ए. संख्या <आई. डी. 3 के अंतिम परिणाम के अधीन और न्यायनिर्णायक प्राधिकरण ने तदनुसार कंपनी आवेदन संख्या <आई. डी. 1 का निपटारा किया।

3.3 ऐसा प्रतीत होता है कि इसके बाद से कॉर्पोरेट ऋणदाता की कोई सहमत समाधान योजना को अपनाया नहीं जा सका, इसलिए आर. पी. ने कॉर्पोरेट ऋणदाता के परिसमापन के आदेश के लिए न्यायनिर्णायक प्राधिकरण के समक्ष आई. ए. सं. 113/2019 दायर किया।न्यायनिर्णायक प्राधिकरण ने दिनांक 25.04.2019 के आदेश द्वारा, कंपनी आवेदन संख्या

348/2017 होने के कारण अपीलार्थियों के आवेदन सहित विभिन्न अन्य आवेदनों पर निर्णय लेने के बाद, निगमित ऋणदाता के परिसमापन का आदेश पारित किया और प्रतिवादी संख्या.1 इसमें निगमित ऋणदाता के परिसमापक के रूप में।परिसमापन का आदेश पारित करते समय, न्यायनिर्णायक प्राधिकरण ने कंपनी आवेदन संख्या 78/2018 में पारित आदेश को देखते हुए कंपनी आवेदन संख्या 348/2017 का भी निपटारा किया, जिसके द्वारा न्यायनिर्णायक प्राधिकरण ने पहले रु। अपीलार्थियों के बकाया के लिए 2 करोड़ 75 लाख रुपये, जो कि कंपनी आवेदन संख्या 348/2017 के अंतिम परिणाम के अधीन था। इसलिए, न्यायनिर्णायक प्राधिकरण ने कंपनी आवेदन संख्या 348/2017 का निपटारा करते हुए अपीलार्थियों-दहेज यार्ड और मुंबई मुख्य कार्यालय में काम करने वाले 272 श्रमिकों/कर्मचारियों द्वारा सी. आई. आर. पी. और पूर्व अवधि से जुड़ी अवधि के वेतन से संबंधित उनके दावे के लिए दावा की गई राहत प्रदान नहीं की।

ग

डी.

ई.

4. न्यायनिर्णायक प्राधिकरण द्वारा पारित आदेश से व्यथित और असंतुष्ट महसूस करते हुए, वेतन/मजदूरी से संबंधित अपने दावे के संबंध में अपीलार्थियों को राहत नहीं देते हुए, जिसका उन्होंने सी. आई. आर. पी. और पूर्व अवधि के लिए दावा किया था, दहेज यार्ड और मुंबई मुख्य कार्यालय में काम करने वाले अपीलार्थियों-श्रमिकों/कर्मचारियों ने अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष कंपनी अपील संख्या 605/2019 को प्राथमिकता दी।विवादित आदेश द्वारा, अपीलीय न्यायाधिकरण ने न्यायनिर्णायक प्राधिकरण द्वारा पारित आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार करने वाली उक्त अपील का निपटारा कर दिया है, हालांकि, अपीलकर्ताओं-272 श्रमिकों/कर्मचारियों को परिसमापक के समक्ष अपने व्यक्तिगत दावे दायर करने की अनुमति दी, जो रिकॉर्ड को देखने के बाद और श्रमिकों/कर्मचारियों द्वारा की गई दलीलों को ध्यान में रखते हुए दावे का निर्धारण करेंगे।अपीलीय न्यायाधिकरण ने यह भी कहा है कि यदि एक या अन्य कामगारों/कर्मचारियों का दावा खारिज कर दिया जाता है, तो उनके लिए न्यायनिर्णायक प्राधिकरण, ए.

च

जी.

एच.

323

सुनील कुमार जैन और अन्य बनाम सुंदरेश भट्ट और अन्य [एम. आर. शाह, जे.] ए.

जो कानून के अनुसार निर्णय ले सकता है।अपीलीय न्यायाधिकरण ने यह भी कहा है कि जहां तक उपदान और भविष्य निधि का संबंध है, इसे निगमित ऋणदाता की संपत्ति नहीं माना जा सकता है और उन्हें उन कर्मचारियों/कर्मचारियों के बीच वितरित किया जाना है जो इसके हकदार हैं।

5. अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा पारित विवादित आदेश से व्यथित और असंतुष्ट महसूस करते हुए, दहेज यार्ड और मुंबई मुख्य कार्यालय में काम करने वाले कॉर्पोरेट ऋणदाता के अपीलकर्ताओं-कर्मचारियों/कर्मचारियों ने वर्तमान अपील को प्राथमिकता दी है।

6. अपीलार्थियों की ओर से पेश विद्वान अधिवक्ता सुश्री शोभा राममूर्ति ने जोरदार ढंग से प्रस्तुत किया है कि वर्तमान मामले में संबंधित अपीलार्थी सभी कर्मचारी और कर्मचारी हैं-जिनकी संख्या 272 है और वे दहेज यार्ड और कॉर्पोरेट देनदार के मुंबई मुख्य कार्यालय में कार्यरत थे।यह प्रस्तुत किया जाता है कि वर्तमान मामले में, सी. आई. आर. पी. अवधि 01.08.2017 से शुरू हुई और 25.04.2019-परिसमापन की शुरुआत पर समाप्त हुई।यह प्रस्तुत किया जाता है कि 20 महीने और 25 दिनों की इस पूरी अवधि के लिए, संबंधित कर्मचारी और कर्मचारी कॉर्पोरेट देनदार के वेतन पर थे।यह प्रस्तुत किया जाता है कि आर. पी. ने रोजगार अनुबंधों को समाप्त नहीं किया या श्रमिकों की छंटनी या छंटनी नहीं की।यह प्रस्तुत किया जाता है कि दूसरी ओर, आर. पी. ने सभी कर्मचारियों और श्रमिकों को उन्हें रिपोर्ट करने और उनके निर्देशों का पालन करने के लिए दिनांकित

4.9.2017 निर्देश जारी किए।यह प्रस्तुत किया जाता है कि 15.11.2017 पर, आर. पी. ने कॉर्पोरेट ऋणदाता के मानव संसाधन विभाग को एक ईमेल जारी किया जिसमें बिना लिखित अनुमोदन के किसी भी कर्मचारी/कर्मचारी को राहत देने या इस्तीफे की अनुमति देने का सख्ती से निर्देश दिया गया है।6.1 यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि वर्तमान मामले में, निगमित ऋणदाता को आई. बी. संहिता की धारा 21 के अनुसार एक चालू संस्था के रूप में प्रबंधित किया गया था।यह प्रस्तुत किया जाता है कि दहेज यार्ड में संचालन को निलंबित करने और श्रमिकों को सशुल्क अवकाश प्रदान करने के प्रस्ताव को भी सी. ओ. सी. द्वारा बहुमत की कमी के कारण खारिज कर दिया गया था।यह प्रस्तुत किया जाता है कि जब कॉर्पोरेट ऋणदाता को एक चालू संस्था के रूप में प्रबंधित किया गया था, जो कि आईबी संहिता की धारा 19 के तहत अनिवार्य है और जब दहेज यार्ड में संचालन निलंबित नहीं किया गया था, तो दहेज यार्ड के कर्मचारी कम से कम वेतन/वेतन के हकदार हैं।यह प्रस्तुत किया जाता है कि इस बात की परवाह किए बिना कि सी. आई. आर. पी. के दौरान अवधि के लिए मजदूरी/वेतन सी. आई. आर. पी. लागत के रूप में योग्य होना है या नहीं, आई. बी. संहिता की धारा 36 (4) के तहत दहेज यार्ड में श्रमिकों और कर्मचारियों को भविष्य निधि, उपदान और पेंशन निधि का भुगतान अन्य बकाया राशि पर प्राथमिकता के साथ किया जाना है, जो आज तक भुगतान नहीं किए गए हैं।

ग

डी.

ई.

च

जी.

एच.

6.2 यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि वर्तमान मामले में, सी. आई. आर. पी. अवधि के दौरान, दहेज यार्ड के कर्मचारियों और श्रमिकों को ए. बी. जी. एन्क्लेव में इकट्ठा होने और उपस्थिति रजिस्टर पर हस्ताक्षर करने के लिए कहा गया था क्योंकि आर. पी. द्वारा यार्ड में परिवहन बंद कर दिया गया था। यह प्रस्तुत किया जाता है कि पूरे सी. आई. आर. पी. अवधि के दौरान, मुंबई कार्यालय के कर्मचारी नियमित रूप से कार्यालय में उपस्थित होते थे; मुंबई कार्यालय में स्थापित उपस्थिति पाठक के साथ अपनी उपस्थिति दर्ज करते थे।अपीलार्थियों की ओर से उपस्थित विद्वान वकील ने सी. आई. आर. पी. अवधि के दौरान संबंधित कर्मचारियों/कामगारों द्वारा किए गए कार्य के प्रमाण के संबंध में कागजी पुस्तक के कुछ दस्तावेजों के साथ-साथ जवाबी हलफनामे पर भरोसा किया है।

ग

6.3 यह प्रस्तुत किया जाता है कि कर्मचारियों/कर्मचारियों द्वारा लिक्विडेटर के साथ फॉर्म-ई में दायर किए गए सभी दावों का सत्यापन कर लिया गया है।यह प्रस्तुत किया जाता है कि उपस्थिति रजिस्टर सहित उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर सी. आई. आर. पी. अवधि के लिए निगमित देनदार के कर्मचारियों और कर्मचारियों के सत्यापित और स्वीकृत दावों को आर. पी./परिसमापक द्वारा 24.12.2020 पर निगमित देनदार की आधिकारिक वेबसाइट पर नियमों के अनुसार अपलोड किया गया है।यह प्रस्तुत किया जाता है कि इसलिए अपीलार्थियों की वास्तविक उपस्थिति के आधार पर उनके दावों के संबंध में आगे का सत्यापन परेशान करने वाला है।

डी.

6.4 अपीलार्थियों की ओर से उपस्थित विद्वान वकील ने हमें उनके इस निवेदन के समर्थन में आई. बी. संहिता के प्रासंगिक प्रावधानों की ओर ले गए हैं कि दहेज यार्ड और मुंबई मुख्य कार्यालय के कर्मचारी कम से कम सी. आई. आर. पी. की अवधि के दौरान मजदूरी/वेतन के हकदार हैं और भविष्य निधि, उपदान और पेंशन के लिए देय और देय राशि के भी हकदार हैं। अपीलार्थियों की ओर से उपस्थित विद्वान वकील हमें आई. बी. संहिता की धारा 3 (36); धारा 5 (13); धारा 5 (14); धारा 5 (23); धारा 17, धारा 18; धारा 19; धारा 20; धारा 25; धारा 33 (7); धारा 36 (4) और धारा 53 पर ले गए हैं। 6.5 यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि आई. बी. संहिता का उद्देश्य निगमित ऋणदाता की परिसंपत्तियों के मूल्य को अधिकतम करना है ताकि उन्हें कुशलता से एक चालू चिंता के रूप में चलाया जा सके।रिलायंस को निर्णय पर रखा गया है

ई.

च

जी.

स्विस रिबन्स प्राइवेट लिमिटेड बनाम के मामले में यह न्यायालय।भारत संघ, (2019) 4 एस. सी. सी. 17 (पैरा 37) में सूचित; और गुजरात ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड बनाम अमित गुप्ता के मामले में, 2019 की सिविल अपील संख्या 9241 ने 8.3.2021 (पैरा 57) पर निर्णय लिया।

6.6 यह प्रस्तुत किया जाता है कि आईबी संहिता की धारा 20 (1) के तहत भी, आरपी को कॉर्पोरेट देनदार ए के संचालन का प्रबंधन करने के लिए अनिवार्य किया गया है।

एच.

325

सुनील कुमार जैन और अन्य बनाम सुंदरेश भट्ट और अन्य [एम. आर. शाह, जे.] ए.

एक चालू चिंता के रूप में।यह प्रस्तुत किया जाता है कि इस उद्देश्य के लिए उसे निगमित ऋणदाता के कर्मियों को निर्देश जारी करने का अधिकार निहित है जो निगमित ऋणदाता को एक चालू चिंता के रूप में रखने के लिए आवश्यक हो सकता है।यह प्रस्तुत किया जाता है कि आर. पी. ऐसे सभी कदम उठाने के लिए अधिदेश के अधीन है जो कॉर्पोरेट देनदार को एक चालू चिंता के रूप में रखने के लिए आवश्यक हैं।

6.7 यह प्रस्तुत किया जाता है कि आई. बी. संहिता की धारा 5 (13) "दिवाला समाधान प्रक्रिया लागत" को परिभाषित करती है।यह प्रस्तुत किया जाता है कि संहिता की धारा 5 (13) के अनुसार, "दिवाला समाधान प्रक्रिया लागत" का अर्थ है कॉर्पोरेट ऋणदाता के व्यवसाय को चलाने में आर. पी. द्वारा की गई कोई भी लागत और कोई अन्य लागत जो आई. बी. बी. आई.-परिसमापक द्वारा निर्दिष्ट की जा सकती है।यह प्रस्तुत किया जाता है कि वर्तमान मामले में, परिपत्र दिनांक 12.06.2018 के माध्यम से, परिसमापक ने आर. पी. द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रपत्र I, II और III में "चल रहे व्यवसाय में अन्य सेवाओं" शीर्ष के तहत कर्मचारियों और श्रमिकों के लिए लागत स्पष्ट रूप से प्रदान की थी।यह प्रस्तुत किया जाता है कि इसलिए सी. आई. आर. पी. अवधि के दौरान कर्मचारियों/श्रमिकों को देय वेतन/मजदूरी और बकाया आई. बी. संहिता की धारा 5 (13) के तहत सी. आई. आर. पी. लागत के रूप में योग्य होंगे और आई. बी. संहिता की धारा 53 के तहत वितरित राशि से पहले ही वितरित किए जाने के लिए उत्तरदायी होंगे।

ग

डी.

6.8 यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि अन्यथा भी भविष्य निधि, उपदान और पेंशन निधि की राशि आईबी संहिता की धारा 36 (4) के तहत परिसमापन से बाहर रहती है।यह प्रस्तुत किया जाता है कि जैसे ही कर्मचारियों और श्रमिकों को आई. बी. संहिता की धारा 33 (7) के तहत छुट्टी दी जाती है, भविष्य निधि, उपदान निधि राशि का भुगतान करने की बाध्यता उत्पन्न होगी।यह प्रस्तुत किया जाता है कि कामगारों/कर्मचारियों को भी आई. बी. संहिता की धारा 53 में उल्लिखित प्राथमिकताओं के अनुसार पूर्व-सी. आई. आर. पी. अवधि के लिए मजदूरी/वेतन का भुगतान किया जाना आवश्यक है।6.9 अपीलार्थियों की ओर

से उपस्थित विद्वान वकील द्वारा आगे यह प्रस्तुत किया जाता है कि सी. आई. आर. पी. अवधि के लिए श्रमिकों/कर्मचारियों को देय वेतन और मजदूरी समाधान पेशेवर लागत का एक घटक है और इसलिए संबंधित श्रमिकों/कर्मचारियों को देय सी. आई. आर. पी. अवधि के वेतन और मजदूरी का पहले भुगतान किया जाना है और आई. बी. संहिता की धारा 53 (1) (बी) और (सी) के संदर्भ में "समान रूप से" भुगतान नहीं किया जाना है।यह प्रस्तुत किया जाता है कि 'कामगारों की देय राशि' को भी संहिता की धारा 53 के स्पष्टीकरण (ii) में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 326 में दिए गए शब्द के समान अर्थ के रूप में समझाया गया है।यह प्रस्तुत किया जाता है कि कंपनी अधिनियम की धारा 327 में प्रावधान है

ई.

च

जी.

एच.

326

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2022] 17 एस सी आर।

कंपनी को बंद करने पर अधिमान्य भुगतान के लिए, उपखंड 1 के तहत खंड बी, सी, ई और एफ के तहत एक कर्मचारी को देय मजदूरी या वेतन और बकाया के घटक को सूचीबद्ध करता है।

6.10.यह प्रस्तुत किया जाता है कि इस प्रकार कंपनी अधिनियम की धारा 326 और 327 के प्रावधानों के संयुक्त अध्ययन पर, यह स्पष्ट है कि श्रमिकों के बकाया और कर्मचारी के बकाया में मजदूरी या वेतन, अवकाश पारिश्रमिक, भविष्य निधि, पेंशन निधि और अन्य मदों के बीच उपदान निधि से देय राशि सहित कई घटक शामिल हैं।यह प्रस्तुत किया जाता है कि स्विस रिबन्स प्राइवेट लिमिटेड (उपरोक्त) के मामले में इस न्यायालय द्वारा की गई टिप्पणी के अनुसार, आर. पी./लिक्विडेटर की लागतों और खर्चों को वरीयता दी जानी चाहिए।

ग

परी पासू सिद्धांत।

6.11 यह प्रस्तुत किया जाता है कि रु। 2. 75 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए हैं और श्रमिकों/कर्मचारियों के बकाया के लिए अलग रखे गए हैं।यह प्रस्तुत किया जाता है कि इसलिए उक्त राशि रु। 2. 75 करोड़ रुपये जो श्रमिकों/कर्मचारियों के लाभ के लिए जमा किया जाता है, आई. बी. संहिता की धारा 53 (1) (ए) आर/डब्ल्यू धारा 5 (13) (सी) के संदर्भ में वितरित करने के लिए उत्तरदायी है।यह प्रस्तुत किया जाता है कि रुपये की राशि में। अपीलकर्ताओं सहित निगमित ऋणदाता के सभी कर्मचारियों और कर्मचारियों को धारा 36 (4) के संदर्भ में भविष्य निधि, उपदान और पेंशन के लिए देय 16 करोड़ 8 लाख रुपये (लगभग) और इसलिए धारा 53 (1) (बी) और (सी) के तहत किए जाने वाले संवितरण पर प्राथमिकता से भुगतान करने की आवश्यकता है।

डी.

ई.

6.12 उपरोक्त प्रस्तुतियाँ करते हुए और उपरोक्त निर्णयों पर भरोसा करते हुए, वर्तमान अपील की अनुमति देने का अनुरोध किया जाता है।

7. प्रतिवादी नं. 1 की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री नकुल दीवान ने वर्तमान अपील का जोरदार विरोध किया है।1 – निगमित देनदार का परिसमापक।

च

7.1 निगमित ऋणदाता के परिसमापक की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील श्री नकुल दीवान ने जोर देकर कहा है कि जिन अपीलार्थियों ने सी. आई. आर. पी. अवधि के दौरान कोई काम नहीं किया है और सी. आई. आर. पी. के दौरान आर. पी./परिसमापक की सहायता नहीं की है, उनके द्वारा दावा किया गया वेतन और वेतन आई. बी. संहिता की धारा 5 (13) (सी) की परिभाषा के भीतर सी. आई. आर. पी. लागत के मानकों के भीतर नहीं आएगा।

जी.

7.2 यह प्रस्तुत किया जाता है कि सी. आई. आर. पी. के दौरान आठ महीने के लिए मुंबई स्थान पर केवल 8 कर्मचारियों और सूरत के श्रमिकों/कर्मचारियों (अगस्त 2017 से अक्टूबर 2017 तक) ने सी. आई. आर. पी. प्रक्रिया के तहत आवश्यक सेवाएं प्रदान करने में आर. पी. की सहायता की।यह प्रस्तुत किया जाता है कि शेष ए

एच.

327

सुनील कुमार जैन और अन्य बनाम सुंदरेश भट्ट और अन्य [एम. आर. शाह, जे.] ए.

इसमें अपीलकर्ताओं सहित कर्मचारियों और कर्मचारियों को सी. आई. आर. पी. अवधि के दौरान निगमित ऋणदाता को चलाने के लिए कोई सेवा करने की आवश्यकता नहीं थी और न ही उन्होंने कोई कार्य किया था।यह प्रस्तुत किया जाता है कि इसलिए निगमित देनदार के सी. ओ. सी. ने सी. आई. आर. पी. लागत के हिस्से के रूप में अपीलार्थियों को किसी भी भुगतान को सही मंजूरी नहीं दी।यह प्रस्तुत किया जाता है कि अपीलकर्ताओं-कॉर्पोरेट ऋणदाता के श्रमिकों/कर्मचारियों का वेतन और वेतन आईबी संहिता की धारा 53 (1) (बी) और 53 (1) (सी) के तहत आएगा।

7.3 यह प्रस्तुत किया जाता है कि सी. आई. आर. पी. विनियमों के आई. बी. संहिता आर/डब्ल्यू विनियम 31 और 33 की धारा 5 (13) (सी) के अनुसार, कॉर्पोरेट देनदार का व्यवसाय चलाने में आर. पी. द्वारा की गई लागत को सी. ओ. सी. द्वारा अनुमोदित किया जाना आवश्यक है ताकि इसे सी. आई. आर. पी. लागत के रूप में वर्गीकृत किया जा सके।यह प्रस्तुत किया जाता है कि केवल उन कर्मचारियों के लिए लागत जिन्होंने सी. आई. आर. पी. अवधि के दौरान आर. पी. की सहायता की है, सी. ओ. सी. द्वारा 4.9.2017 पर आयोजित पहली सी. ओ. सी. बैठक में अनुमोदित किया गया है।यह प्रस्तुत किया जाता है कि इसलिए किसी भी अन्य लागत को सी. आई. आर. पी. लागत के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है, सिवाय इसके कि इसे सी. ओ. सी. द्वारा अनुमोदित किया जाए। यह प्रस्तुत किया जाता है कि श्रमिकों का शेष बकाया आईबी संहिता की धारा 53 (1) (बी) के तहत आने वाले बकाया का हिस्सा होगा।

ग

डी.

7.4 यह प्रस्तुत किया जाता है कि पहली बैठक से चौथी बैठक तक समय-समय पर आयोजित सी. ओ. सी. की बैठकों में, यह विशेष रूप से दर्ज किया गया था कि दहेज शिपयार्ड चालू नहीं है और कॉर्पोरेट देनदार धन की कमी के कारण श्रमिकों और कर्मचारियों के वेतन का भुगतान करने की स्थिति में नहीं है क्योंकि कॉर्पोरेट देनदार एक चालू चिंता नहीं था और उसका व्यवसाय नहीं चल रहा था।

ई.

7.5 यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि कॉर्पोरेट देनदार का मुख्य व्यवसाय जहाज निर्माण और जहाज की मरम्मत था जो सूरत और दहेज में इसके यार्ड में किया गया था।यह प्रस्तुत किया जाता है कि दहेज में यार्ड 2015 से चालू नहीं था और सूरत में यार्ड अक्टूबर 2017 में बंद कर दिया गया था और इसलिए यह नहीं कहा जा सकता है कि सी. आई. आर. पी. के दौरान कॉर्पोरेट ऋणदाता एक चालू चिंता थी और इसलिए इसके सभी कर्मचारियों को उन लोगों के रूप में माना जाना चाहिए जिन्होंने कॉर्पोरेट ऋणदाता को चलाने में आर. पी. की सहायता की थी।

च

7.6 यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि इस बात का कोई सबूत नहीं है कि दहेज यार्ड और मुंबई मुख्य कार्यालय में तैनात संबंधित श्रमिकों/कर्मचारियों ने वास्तव में सी. आई. आर. पी. अवधि के दौरान काम किया है।इसलिए यह प्रस्तुत किया जाता है कि अपीलीय न्यायाधिकरण ने ठीक ही कहा है कि संबंधित श्रमिकों/कर्मचारियों को कम से कम अपने-अपने दावे प्रस्तुत करके आर. पी./परिसमापक के समक्ष अपने दावों को साबित करना पड़ सकता है और उन पर निर्णय लेने और/या उनके द्वारा सत्यापित किए जाने की आवश्यकता है।

जी.

एच.

द्रावक।यह प्रस्तुत किया जाता है कि इसलिए अपीलीय न्यायाधिकरण ने श्रमिकों/कर्मचारियों के पक्ष में कोई आदेश पारित नहीं करने में न्यायनिर्णायक प्राधिकरण द्वारा पारित आदेश में उचित रूप से हस्तक्षेप नहीं किया है।

7.7 यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि आई. बी. संहिता की धारा 53 झरना तंत्र को निर्धारित करती है जिसके संदर्भ में लेनदारों के बकाया का भुगतान किया जाता है।यह प्रस्तुत किया जाता है कि सी. आई. आर. पी. बकाया, सुरक्षित लेनदारों के बकाया आदि के भुगतान के बाद परिचालन लेनदार भी छठे स्थान पर आते हैं। यह प्रस्तुत किया जाता है कि आई. बी. संहिता की धारा 33 के संदर्भ में निगमित ऋणदाता के परिसमापन में जाने के बाद भी, कर्मचारियों और श्रमिकों के बकाया का भुगतान आई. बी. संहिता की धारा 53 (1) (एफ) के जलप्रपात तंत्र के संदर्भ में किया जाएगा।इसलिए यह प्रस्तुत किया जाता है कि संबंधित अपीलार्थी-कर्मचारी/कर्मचारी सी. आई. आर. पी. के दौरान अवधि के लिए सी. आई. आर. पी. लागत के रूप में किसी भी वेतन/वेतन के हकदार नहीं हैं, जैसा कि उनके द्वारा दावा किया गया है।

ग

7.8 श्री नकुल दीवान, प्रतिवादी नं.1 – आर. पी./परिसमापक ने आगे प्रस्तुत किया है कि निगमित ऋणदाता/आर. पी. द्वारा सी. आई. आर. पी. अवधि के दौरान की गई लागत केवल आई. बी. संहिता की धारा 5 (13) (सी) के तहत कंपनी को चल रही संस्था के रूप में चलाने वाले आर. पी. द्वारा की गई लागत के संबंध में सी. आई. आर. पी. लागत के रूप में योग्य होगी और ऐसे मामले में जहां सी. ओ. सी. द्वारा सी. आई. आर. पी. विनियमों के विनियम 31 और 33 के तहत इसे अनुमोदित किया गया है।

डी.

ई.

यह प्रस्तुत किया जाता है कि वर्तमान मामले में निगमित देनदार न तो एक चालू संस्था है और न ही आर. पी. ने कोई लागत वहन की है।यह प्रस्तुत किया जाता है कि इसलिए दहेज यार्ड में श्रमिकों/कर्मचारियों के वेतन/वेतन को सी. आई. आर. पी. लागत में शामिल नहीं किया जा सकता है।

7.9 यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि सी. आई. आर. पी. की शुरुआत के बाद, कामगारों और कर्मचारियों के बकाया जो सी. आई. आर. पी. की तारीख तक बकाया हैं, उन्हें आई. बी. संहिता की धारा 5 (20) और 5 (21) के संदर्भ में परिचालन लेनदार माना जाता है।यह प्रस्तुत किया जाता है कि आई. बी. संहिता की धारा 30 (2) (बी) के संदर्भ में, एक संभावित समाधान आवेदक द्वारा परिचालन लेनदारों को देय राशि धारा 53 के तहत निगमित देनदार के परिसमापन की स्थिति में ऐसे लेनदारों को भुगतान की जाने वाली राशि से कम नहीं होगी; या ऐसी राशि जो ऐसे लेनदारों को भुगतान की जाती, यदि समाधान

योजना के तहत वितरित की जाने वाली राशि धारा 53 की उप-धारा (1) में प्राथमिकता के क्रम के अनुसार वितरित की गई होती, जो भी अधिक हो।

च

जी.

एच.

329

सुनील कुमार जैन और अन्य बनाम सुंदरेश भट्ट और अन्य [एम. आर. शाह, जे.] ए.

क.

7.10 यह प्रस्तुत किया जाता है कि आई. बी. संहिता की धारा 53 झरना तंत्र को निर्धारित करती है जिसके संदर्भ में लेनदारों के बकाया का भुगतान किया जाता है।यह प्रस्तुत किया जाता है कि सी. आई. आर. पी. बकाया, सुरक्षित लेनदारों के बकाया आदि के भुगतान के बाद परिचालन लेनदार छठे स्थान पर आते हैं।

7.11 यह प्रस्तुत किया जाता है कि वर्तमान मामले में, सूरत के कुछ ही श्रमिकों/कर्मचारियों और 8 मुंबई कर्मचारियों ने सी. आई. आर. पी. प्रक्रिया को पूरा करने में आर. पी. की सहायता के लिए सी. आई. आर. पी. अवधि के दौरान सेवाएं प्रदान की हैं, जिनके बकाया को सी. आई. आर. पी. लागत के रूप में माना जाएगा।अन्यथा, सी. आई. आर. पी. से पहले अर्जित कर्मचारियों और कर्मचारियों के सभी बकाया का भुगतान सी. आई. आर. पी. के दौरान और परिसमापन के दौरान आई. बी. संहिता की धारा 53 (1) (एफ) के अनुसार किया जाएगा।यह प्रस्तुत किया जाता है कि वर्तमान मामले में, परिसमापक ने श्रमिकों और कर्मचारियों द्वारा दायर दावे को स्वीकार कर लिया है।हालांकि, श्रमिकों/कर्मचारियों द्वारा दायर किए गए उक्त दावों को सी. आई. आर. पी. लागत नहीं माना जा सकता है और अन्य सभी दावों को प्राथमिकता के आधार पर भुगतान नहीं किया जा सकता है।श्रमिकों और कर्मचारियों के उक्त दावों के व्यवहार को आई. बी. संहिता की धारा 53 (1) (बी) (आई) और 53 (1) (सी) के प्रावधानों के अनुसार माना जाना चाहिए, न कि सी. आई. आर. पी. लागत के रूप में।

ग

डी.

7.12 यह प्रस्तुत किया जाता है कि वर्तमान मामले में अपीलकर्ता जो दहेज यार्ड के कर्मचारी हैं और मुंबई मुख्य कार्यालय के कर्मचारी हैं, ने कॉर्पोरेट ऋणदाता को एक चालू चिंता के रूप में बनाए रखने में मदद नहीं की, क्योंकि (i) कॉर्पोरेट ऋणदाता कभी भी एक चालू चिंता का विषय नहीं था और (ii) दहेज यार्ड जून, 2015 से चालू नहीं था और (iii) सूरत शिपयार्ड में संचालन अक्टूबर, 2017 से पूरी तरह से बंद था।यह प्रस्तुत किया जाता है कि इसलिए अपीलकर्ता जो दहेज यार्ड के कर्मचारी हैं और मुंबई मुख्य कार्यालय के कर्मचारी हैं, सी. आई. आर. पी. अवधि के लिए मजदूरी/वेतन के लिए किसी भी राशि का दावा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनके द्वारा कोई काम/सेवा प्रदान नहीं की गई थी, सिवाय मुंबई के महत्वपूर्ण कर्मचारियों के जिनके वेतन को पहली सी. ओ. सी. बैठक के दौरान सी. ओ. सी. द्वारा अनुमोदित किया गया था।7.13 उपरोक्त प्रस्तुतियाँ करते हुए, यह प्रस्तुत किया जाता है कि सी. आई. आर. पी. अवधि के दौरान काम करने वालों को छोड़कर, दहेज यार्ड में श्रमिकों/कर्मचारियों और मुंबई मुख्य कार्यालय में कर्मचारियों के वेतन और वेतन को शामिल नहीं किया जा सकता है और/या सी. आई. आर. पी. लागत के रूप में माना नहीं जा सकता है और इसलिए उन्हें आई. बी. संहिता की धारा 53 (1) (बी) और (सी) में उल्लिखित जलप्रपात तंत्र के अनुसार भुगतान किया जाना है।

ई.

च

जी.

7.14 यह प्रस्तुत किया जाता है कि इसलिए दहेज यार्ड में कार्यरत संबंधित कर्मचारी और मुंबई में कार्यरत कुछ कर्मचारी

मुख्य कार्यालय को अपने व्यक्तिगत दावे प्रस्तुत करने होते थे और उन्हें आर. पी./परिसमापक के समक्ष यह स्थापित करना होता था कि वास्तव में उन्होंने सी. आई. आर. पी. अवधि के दौरान काम किया था, अपीलीय न्यायाधिकरण ने सही कहा है कि संबंधित श्रमिकों/कर्मचारियों को आर. पी./परिसमापक के समक्ष अपने दावे प्रस्तुत करने होते हैं, जिन्हें यह सत्यापित करने की आवश्यकता होती है कि क्या सी. आई. आर. पी. अवधि के दौरान निगमित देनदार एक चालू संस्था थी और क्या वास्तव में संबंधित श्रमिकों/कर्मचारियों ने वास्तव में सी. आई. आर. पी. अवधि के दौरान काम किया था या नहीं।यह प्रस्तुत किया जाता है कि इसलिए इस न्यायालय के हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है।

8. हमने संबंधित पक्षों के विद्वान वकील को विस्तार से सुना है।

ग

इस न्यायालय के समक्ष मुद्दा सी. आई. आर. पी. अवधि के दौरान श्रमिकों/कर्मचारियों के वेतन/वेतन और संबंधित श्रमिकों/कर्मचारियों को पेंशन कोष, ग्रेच्युटी कोष और भविष्य निधि के लिए देय और देय राशि के संबंध में है।

8.1 उपरोक्त दावों पर विचार करते समय, विधायी इतिहास और आई. बी. संहिता के प्रासंगिक प्रावधानों का उल्लेख किया जाना आवश्यक है।

डी.

आई**.** बी**.** संहिता के प्रासंगिक प्रावधानः**“**धारा **3 (36)**

ई.

धारा 3 (36) "श्रमिक" का वही अर्थ होगा जो औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 2 के खंड (खंडों) में दिया गया है।

धारा **5 (13)**

(13) “दिवाला समाधान प्रक्रिया लागत "का अर्थ है -

च

((क) किसी अंतरिम वित्त की राशि और ऐसा वित्त जुटाने में होने वाली लागत;

(ख) समाधान पेशेवर के रूप में कार्य करने वाले किसी भी व्यक्ति को देय शुल्क;

जी.

(ग) निगमित देनदार के व्यवसाय को चलाने में समाधान पेशेवर द्वारा की गई कोई भी लागत;

(घ) दिवाला समाधान प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के लिए सरकार के खर्च पर की गई कोई भी लागत; और

(ङ) बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट की जाने वाली कोई अन्य लागत;

एच.

सुनील कुमार जैन और अन्य बनाम सुंदरेश भट्ट और अन्य [एम. आर. शाह, जे.] ए.

धारा **5 (14)**

5(14) "दिवाला समाधान प्रक्रिया अवधि का अर्थ है एक सौ अस्सी दिनों की अवधि जो दिवाला शुरू होने की तारीख से शुरू होती है और एक सौ अस्सीवें दिन को समाप्त होती है।

धारा **17**

17. निगमित देनदार के मामलों का अंतरिम प्रबंधन

समाधान पेशेवर।**(1)** अंतरिम समाधान पेशेवर की नियुक्ति की तारीख से**, -**

(क) निगमित देनदार के मामलों का प्रबंधन अंतरिम समाधान पेशेवर में निहित होगा;

ग

(ख) निदेशक मंडल या निगमित देनदार के भागीदारों की शक्तियां, जैसा भी मामला हो, निलंबित हो जाएंगी और अंतरिम समाधान पेशेवर द्वारा उनका प्रयोग किया जाएगा;

डी.

(ग) निगमित देनदार के अधिकारी और प्रबंधक अंतरिम समाधान पेशेवर को रिपोर्ट करेंगे और निगमित देनदार के ऐसे दस्तावेजों और रिकॉर्ड तक पहुंच प्रदान करेंगे जो अंतरिम समाधान पेशेवर द्वारा आवश्यक हो सकते हैं।

(घ) निगमित देनदार के खातों का रखरखाव करने वाले वित्तीय संस्थान ऐसे खातों के संबंध में अंतरिम समाधान पेशेवर के निर्देशों पर कार्य करेंगे और उनके पास उपलब्ध निगमित देनदार से संबंधित सभी जानकारी अंतरिम समाधान पेशेवर को प्रदान करेंगे।

ई.

(2) निगमित देनदार के प्रबंधन के साथ निहित अंतरिम समाधान पेशेवर -

च

(क) निगमित देनदार के नाम से और उसकी ओर से सभी विलेख, रसीदें और अन्य दस्तावेज, यदि कोई हों, कार्य करें और निष्पादित करें;

(ख) बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट तरीके से और ऐसे प्रतिबंधों के अधीन ऐसी कार्रवाई करें;

जी.

(ग) निगमित देनदार की वित्तीय जानकारी रखने वाली सूचना उपयोगिता से निगमित देनदार के इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड तक पहुँचने का अधिकार है;

(घ) के पास उपलब्ध निगमित देनदार की लेखा बहियों, अभिलेखों और अन्य प्रासंगिक दस्तावेजों तक पहुँचने का अधिकार है।

एच.

सरकारी प्राधिकारी, सांविधिक लेखा परीक्षक, लेखाकार और ऐसे अन्य व्यक्ति जो [निर्दिष्ट किए जाएं; और]

[(ङ) निगमित देनदार की ओर से तत्काल लागू किसी भी कानून के तहत आवश्यकताओं का पालन करने के लिए जिम्मेदार होगा।]

धारा **20**

20. निगमित देनदार के संचालन का प्रबंधन

चिंता की बात।- (1) अंतरिम समाधान पेशेवर निगमित देनदार की संपत्ति के मूल्य की रक्षा और संरक्षण के लिए हर संभव प्रयास करेगा और निगमित देनदार के संचालन का प्रबंधन करेगा।

ग

(2) उप-धारा (1) के प्रयोजनों के लिए, अंतरिम समाधान पेशेवर के पास अधिकार होगा -

(क) लेखाकार, कानूनी या अन्य पेशेवरों को नियुक्त करना जो आवश्यक हो;

डी.

(ख) निगमित देनदार की ओर से अनुबंध करना या निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया शुरू होने से पहले किए गए अनुबंधों या लेनदेन में संशोधन या संशोधन करना;

(ग) अंतरिम वित्त जुटाने के लिए बशर्ते कि निगमित देनदार की किसी भी बोझ वाली संपत्ति पर उन लेनदारों की पूर्व सहमति के बिना कोई प्रतिभूति ब्याज नहीं बनाया जाएगा, जिनका ऋण ऐसी बोझ वाली संपत्ति पर सुरक्षित हैः

ई.

बशर्ते कि लेनदार की किसी पूर्व सहमति की आवश्यकता नहीं होगी जहां ऐसी संपत्ति का मूल्य ऋण की राशि के दोगुने के बराबर राशि से कम न हो।

च

(घ) निगमित ऋणी के कार्मिकों को निर्देश जारी करना जो निगमित ऋणी को एक चालू संस्था के रूप में रखने के लिए आवश्यक हो; और

जी.

(ङ) निगमित ऋणी को एक चालू संस्था के रूप में रखने के लिए आवश्यक सभी कार्रवाई करना।

धारा **25**

25. समाधान पेशेवर के कर्तव्य-(1) यह कर्तव्य होगा

परिसंपत्तियों के संरक्षण और सुरक्षा के लिए समाधान पेशेवर ए

एच.

निगमित देनदार का, जिसमें निगमित देनदार का निरंतर व्यावसायिक संचालन भी शामिल है।

(2) उप-धारा (1) के प्रयोजनों के लिए समाधान पेशेवर निम्नलिखित कार्य करेगा, अर्थात्:—

(क) निगमित देनदार के व्यावसायिक रिकॉर्ड सहित निगमित देनदार की सभी परिसंपत्तियों की तत्काल अभिरक्षा और नियंत्रण लेना;

(बी) तीसरे पक्ष के साथ कॉर्पोरेट देनदार की ओर से प्रतिनिधित्व और कार्य करें, न्यायिक, अर्ध-न्यायिक या मध्यस्थता कार्यवाही में कॉर्पोरेट देनदार के लाभ के लिए अधिकारों का प्रयोग करें;

ग

(ग) धारा 28 के तहत लेनदारों की समिति के अनुमोदन के अधीन अंतरिम वित्त जुटाना;

(घ) बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट तरीके से लेखाकार, कानूनी या अन्य पेशेवरों की नियुक्ति;

डी.

(ई) दावों की एक अद्यतन सूची बनाए रखें;

(च) ऋणदाताओं की समिति की सभी बैठकों को बुलाना और उसमें भाग लेना; (छ) धारा 29 के अनुसार सूचना ज्ञापन तैयार करना;

(ज) संभावित समाधान आवेदकों को आमंत्रित करें, जो ऐसे मानदंडों को पूरा करते हैं जो लेनदारों की समिति के अनुमोदन से उनके द्वारा निर्धारित किए जा सकते हैं, कॉर्पोरेट देनदार के व्यवसाय की जटिलता और संचालन के पैमाने और ऐसी अन्य शर्तों को ध्यान में रखते हुए जो बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट की जा सकती हैं, एक समाधान योजना या योजनाओं को प्रस्तुत करने के लिए।

ई.

च

((i) ऋणदाताओं की समिति की बैठकों में सभी समाधान योजनाओं को प्रस्तुत करना।

(जे) अध्याय III, यदि कोई हो, के अनुसार लेन-देन से बचने के लिए आवेदन दायर करें; और

जी.

(ट) ऐसी अन्य कार्रवाइयां जो बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट की जाएं।

धारा **33 (7)**

33(7).इस धारा के तहत परिसमापन के आदेश को अधिकारियों, कर्मचारियों और कामगारों को छुट्टी की सूचना माना जाएगा।

एच.

निगमित देनदार का, सिवाय इसके कि परिसमापक द्वारा परिसमापन प्रक्रिया के दौरान निगमित देनदार का व्यवसाय जारी रखा जाए।

धारा **36 (4)**

धारा **36 (4)** परिसमापन संपदा **-**

(4) निम्नलिखित परिसमापन संपदा परिसंपत्तियों में शामिल नहीं किया जाएगा और परिसमापन में वसूली के लिए उपयोग नहीं किया जाएगाः— (क) किसी तीसरे पक्ष के स्वामित्व वाली परिसंपत्तियाँ जो निगमित देनदार के कब्जे में हैं, जिनमें शामिल हैं -

(i) किसी तीसरे पक्ष के लिए न्यास में रखी गई परिसंपत्तियाँ; (ii) जमानत अनुबंध;

ग

((ग) भविष्य निधि, पेंशन निधि और उपदान निधि से किसी भी कर्मचारी या कर्मचारी को देय सभी राशियाँ;

((iv) अन्य संविदात्मक व्यवस्थाएँ जो स्वामित्व के हस्तांतरण को निर्धारित नहीं करती हैं, बल्कि केवल परिसंपत्तियों का उपयोग करती हैं; और

डी.

(v) ऐसी अन्य परिसंपत्तियाँ जिन्हें केंद्र सरकार द्वारा किसी भी वित्तीय क्षेत्र के नियामक के परामर्श से अधिसूचित किया जा सकता है;

(बी) वित्तीय सेवा प्रदाताओं द्वारा आयोजित प्रतिभूति संपार्श्विक में परिसंपत्तियाँ और बहु-पक्षीय व्यापार या समाशोधन लेनदेन में जाली और सेट-ऑफ के अधीन हैं;

ई.

(ग) यथास्थिति, किसी निगमित देनदार के किसी भी शेयरधारक या भागीदार की व्यक्तिगत परिसंपत्तियाँ बशर्ते ऐसी परिसंपत्तियाँ परिहार लेन-देन के कारण नहीं रखी जाती हैं जिनसे इस अध्याय के तहत बचा जा सकता है;

च

((घ) निगमित देनदार की किसी भारतीय या विदेशी सहायक कंपनी की परिसंपत्तियाँ; या

(ङ) बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट की जाने वाली कोई भी अन्य परिसंपत्तियाँ, जिनमें ऐसी परिसंपत्तियाँ भी शामिल हैं जो निगमित देनदार और किसी भी लेनदार के बीच पारस्परिक लेन-देन के कारण बंद की जा सकती हैं।

जी.

धारा **53**

53. परिसंपत्तियों का वितरण-(1) संसद या तत्समय प्रवृत्त किसी राज्य विधानमंडल द्वारा अधिनियमित किसी विधि में इसके विपरीत कुछ भी निहित होने के बावजूद, परिसमापन परिसंपत्तियों की बिक्री से प्राप्त आय को निम्नलिखित में वितरित किया जाएगा।

एच.

प्राथमिकता का क्रम और ऐसी अवधि के भीतर और ऐसी रीति से जो निर्दिष्ट की जाए, अर्थात्:—

(क) दिवाला समाधान प्रक्रिया लागत और परिसमापन लागत का पूरा भुगतान;

(ख) निम्नलिखित ऋण जो निम्नलिखित के बीच और उनके बीच समान रूप से श्रेणीबद्ध होंगेः—

(i) परिसमापन शुरू होने की तारीख से पहले चौबीस महीने की अवधि के लिए श्रमिकों का बकाया; और

((ii) यदि ऐसे प्रतिभूत लेनदार ने धारा 52 में निर्धारित तरीके से प्रतिभूति छोड़ दी है, तो किसी प्रतिभूत लेनदार को देय ऋण;

ग

(ग) परिसमापन शुरू होने की तारीख से पहले बारह महीने की अवधि के लिए श्रमिकों के अलावा अन्य कर्मचारियों को देय मजदूरी और कोई भी अवैतनिक बकाया;

डी.

(घ) असुरक्षित लेनदारों को देय वित्तीय ऋण;

(ङ) निम्नलिखित देय राशि निम्नलिखित के बीच और उनके बीच समान रूप से क्रमबद्ध होगीः—

((i) परिसमापन प्रारंभ होने की तारीख से पहले की दो वर्ष की अवधि के पूरे या किसी भाग के संबंध में भारत की संचित निधि और राज्य की संचित निधि, यदि कोई हो, के कारण प्राप्त होने वाली राशि सहित केंद्र सरकार और राज्य सरकार को देय कोई भी राशि;

ई.

((ii) प्रतिभूति ब्याज लागू होने के बाद किसी भी राशि के भुगतान के लिए एक सुरक्षित लेनदार को देय ऋण;

च

(च) कोई शेष ऋण और देय राशि;

(छ) तरजीही शेयरधारक, यदि कोई हो; और

(ज) इक्विटी शेयरधारक या भागीदार, जैसा भी मामला हो।

(2) उप-धारा (1) के तहत प्राप्तकर्ताओं के बीच समान श्रेणी के साथ कोई संविदात्मक व्यवस्था, यदि उस उप-धारा के तहत प्राथमिकता के क्रम को बाधित करती है, तो परिसमापक द्वारा इसकी अवहेलना की जाएगी।(3) परिसमापक को देय शुल्क प्रत्येक वर्ग को देय आय से आनुपातिक रूप से काटा जाएगा।

जी.

एच.

उप-धारा (1) के तहत प्राप्तकर्ता और संबंधित प्राप्तकर्ता को आय ऐसी कटौती के बाद वितरित की जाएगी।

स्पष्टीकरण.—इस धारा के प्रयोजन के लिए -

(i) एतद्द्वारा यह स्पष्ट किया जाता है कि प्राप्तकर्ताओं के एक वर्ग के संबंध में आय के वितरण के प्रत्येक चरण में, जो समान श्रेणी के हैं, प्रत्येक ऋण का या तो पूर्ण भुगतान किया जाएगा, या प्राप्तकर्ताओं के एक ही वर्ग के भीतर समान अनुपात में भुगतान किया जाएगा, यदि आय ऋणों को पूर्ण रूप से पूरा करने के लिए अपर्याप्त है; और

((ii) "श्रमिकों का बकाया" शब्द का वही अर्थ होगा जो कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 326 में दिया गया है।"

ग

भविष्य निधि, उपदान और पेंशन निधि के लिए देय और देय राशि सहित मजदूरी/वेतन के प्रति श्रमिकों/कर्मचारियों के बकाया के संबंध में विधायी इतिहासः

डी.

8.2 कंपनी अधिनियम, 1956 (इसके बाद "1956 अधिनियम" के रूप में संदर्भित) के तहत, धारा 59 ए ने प्रावधान किया कि 1956 के अधिनियम की धारा 529 ए (1) (सी) के संदर्भ में श्रमिकों के बकाया और सुरक्षित लेनदारों के बकाया का भुगतान अन्य ऋणों की तुलना में प्राथमिकता से किया जाएगा।इसके अलावा, इसने प्रावधान किया कि दिवालिया कंपनी के मामले में, दिवालिया घोषित व्यक्तियों की स्थिति के संबंध में दिवालिया कानूनों के संदर्भ में समापन किया जाना चाहिए।8.2.1 1956 के अधिनियम की धारा 59 (1) के परंतुक में प्रावधान किया गया था कि श्रमिकों के हिस्से की सीमा तक उनके पक्ष में समान प्रभार होगा।इसमें आगे कहा गया है कि जहां सुरक्षित लेनदार (छोड़ने के बजाय) अपनी प्रतिभूति को लागू कर रहा है, वहां प्रतिभूति में श्रमिकों के हिस्से/हिस्से की सीमा के कारण ऋण धारा 529 ए के उद्देश्यों के लिए श्रमिकों के बकाया के बराबर होगा। उक्त धारा कंपनी (संशोधन) विधेयक, 1985 के माध्यम से लाई गई थी, जिसका उद्देश्य कंपनी के बंद होने की स्थिति में सुरक्षित लेनदारों के साथ श्रमिकों के वैध बकाया के लिए आवश्यक कानून पेश करना था।प्रशंसनीय उद्देश्य यह था कि परिसमापन की दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति में, जिन श्रमिकों का श्रम और प्रयास कंपनी की पूंजी का एक अदृश्य लेकिन आसानी से समझने योग्य हिस्सा है, वे अपने श्रम और प्रयास के उत्पाद में भाग लेने के अपने वैध अधिकार से वंचित नहीं हैं।

ई.

च

जी.

एच.

337

सुनील कुमार जैन और अन्य बनाम सुंदरेश भट्ट और अन्य [एम. आर. शाह, जे.] ए.

क.

8.2.2 1956 के अधिनियम की धारा 530 ने झरना तंत्र प्रदान किया जिसके अनुसार विभिन्न प्रकार के ऋणों को प्राथमिकता दी जानी है।इसके बाद, कंपनी विधेयक, 2009 और 2011 पेश किया गया, जिसमें कंपनी को बंद करने के मामले में 2 साल की अवधि के लिए श्रमिकों को देय मजदूरी/वेतन को संरक्षित किया गया था।इसके बाद, कंपनी अधिनियम, 2013 (इसके बाद "2013 अधिनियम" के रूप में संदर्भित), धारा 326 और धारा 327 के तहत अर्थात "अधिमानी अधिमान्य भुगतान" और "अधिमान्य भुगतान" पेश किए गए थे जिसमें 2013 अधिनियम की धारा 326 का एक प्रावधान जोड़ा गया था।प्रारंभ में दिवालिया कंपनियों को बंद करने के मामले में दिवालिया प्रक्रिया 2013 अधिनियम की धारा 325 के तहत प्रदान की गई थी। हालाँकि, 2013 के अधिनियम की धारा 325 को आईबी कोड के लागू होने पर डब्ल्यू. ई. एफ. 15.11.2016 से हटा दिया गया था।आई. बी. संहिता के अधिनियमन पर, दिवाला के मामले में समापन कार्यवाही आई. बी. संहिता के प्रावधानों द्वारा नियंत्रित की जानी है और आई. बी. संहिता के प्रावधान केवल समापन कार्यवाही से निपटने के लिए लागू होंगे क्योंकि आई. बी. संहिता अपने आप में एक पूर्ण संहिता है।इसके बाद, 2013 अधिनियम की धारा 327 (7) के तहत डब्ल्यू. ई. एफ. 15.11.2016 में एक संशोधन लाया गया है जिसमें यह स्पष्ट किया गया है कि आई. बी. संहिता के तहत परिसमापन की स्थिति में 2013 अधिनियम की धारा 326 और धारा 327 के प्रावधान लागू नहीं होंगे।

ग

डी.

8.2.3 किसी भी दिवालियापन के मामले में, कंपनी अधिनियम की धारा 326 और 327 के तहत किसी कंपनी के समापन में, श्रमिकों के बकाया का भुगतान निम्नानुसार किया जाना हैः- -प.व.१४ का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है -

ई.

• प्रतिभूति में श्रमिकों के हिस्से का भुगतान अन्य सभी ऋणों की तुलना में प्राथमिकता से किया जाएगा।

• हालांकि, श्रमिकों के बकाया (24 महीने की अवधि के लिए देय (बी) (i) और (ii) में दिया गया, अन्य सभी ऋणों (सुरक्षित लेनदारों को देय ऋणों सहित) को प्राथमिकता के आधार पर भुगतान किया जाएगा।इसका मतलब है कि 24 महीने की अवधि के लिए मजदूरी/वेतन हर अन्य दावे/ऋण (सुरक्षित लेनदारों के कारण ऋण सहित) से अधिक है।

च

• कर्मचारियों के बकाया में भविष्य निधि, पेंशन निधि और ग्रेच्युटी निधि या कंपनी द्वारा बनाए गए श्रमिकों के कल्याण के लिए कोई अन्य निधि शामिल है।

जी.

8.2.4 आई. बी. संहिता के तहत, श्रमिकों के बकाया को विधिवत संरक्षित किया गया है और भविष्य निधि, उपदान और पेंशन निधि को परिसमापन संपदा परिसंपत्तियों (आई. बी. संहिता की धारा 36 (4)) से बाहर रखा गया है।

एच.

इसके अलावा, आई. बी. संहिता की धारा 53 के अनुसार, झरने के तंत्र में श्रमिकों के बकाया को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाती है।

8.2.5 विभिन्न समितियों की रिपोर्टों में श्रमिकों के बकाया को प्राथमिकता देने के मुद्दे पर बार-बार विचार किया गया हैः

दिवालियापन कानून सुधार समिति (खंड 1) (नवंबर, 2015) में इस बात पर सहमति व्यक्त की गई थी कि न्यास में इकाई द्वारा रखी गई परिसंपत्तियां (जैसे कर्मचारी पेंशन), कुछ वित्तीय बाजार संस्थानों के लिए संपार्श्विक के रूप में रखी गई परिसंपत्तियां और परिचालन लेनदेन के हिस्से के रूप में रखी गई परिसंपत्तियां जहां इकाई का परिसंपत्ति पर अधिकार है, लेकिन उसका मालिक नहीं है, उन्हें परिसमापन संपत्ति से बाहर रखा जाएगा।इसके अलावा, संहिता के तहत झरना तंत्र के संबंध में भी बहस की गई और इस बात पर सहमति व्यक्त की गई कि कॉर्पोरेट दिवालियापन और समाधान प्रक्रिया और परिसमापन की लागत के बाद 3 महीने तक के श्रमिकों के बकाया को सुरक्षित लेनदार के साथ दूसरी प्राथमिकता दी जाएगी।

ग

इसके बाद, दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2015 पर संयुक्त समिति की एक रिपोर्ट तैयार की गई और 'आईडी1' पर लोकसभा में प्रस्तुत की गई, जिसमें भविष्य निधि, पेंशन निधि और ग्रेच्युटी निधि को परिसमापन संपत्ति और दिवालिया की संपत्ति से बाहर करने के मुद्दे पर बहस की गई।विभाग की जांच के बाद समिति का विचार था कि भविष्य निधि, पेंशन निधि और उपदान निधि श्रमिकों और कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करते हैं और इसलिए, किसी कंपनी के परिसमापन या साझेदारी फर्म के दिवालिया होने की स्थिति में इसे सुरक्षित करने की आवश्यकता है।समिति ने कहा कि कर्मचारी किसी भी कंपनी के तंत्रिका केंद्र होते हैं और किसी भी कंपनी के दिवालिया या दिवालिया होने की स्थिति में, कर्मचारी प्रतिकूल रूप से प्रभावित होते हैं और इसलिए, उनके बकाया को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।इसलिए, भविष्य निधि, उपदान निधि या पेंशन निधि से किसी भी कर्मचारी या कर्मचारी को देय सभी राशियों को परिसमापन संपदा परिसंपत्तियों में शामिल नहीं किया जाना

चाहिए।इस प्रकार, श्रमिकों के हितों की रक्षा के लिए, समिति ने निर्णय लिया कि संहिता की धारा 53 के तहत प्रदान की गई 12 महीने की अवधि के लिए श्रमिकों की बकाया राशि को परिसमापन शुरू होने की तारीख से पहले 24 महीने तक बढ़ाया जाए।6

डी.

ई.

च

जी.

उसी के आलोक में, संहिता की धारा 36 ने भविष्य निधि, पेंशन निधि और ग्रेच्युटी निधि के तहत श्रमिकों के बकाया को स्पष्ट रूप से सुरक्षा प्रदान की है जिसे परिसमापन ए के रूप में नहीं माना जाता है।

एच.

339

सुनील कुमार जैन और अन्य बनाम सुंदरेश भट्ट और अन्य [एम. आर. शाह, जे.] ए.

ऐसी निधियों पर परिसंपत्तियों और परिसमापक का कोई दावा नहीं है।इसलिए, श्रमिकों के बकाया का यह हिस्सा जानबूझकर परिसमापन प्रक्रिया से बाहर ले लिया गया है।

8.2.6 आई. बी. संहिता और विधायी इतिहास के तहत उपरोक्त वैधानिक प्रावधानों के आलोक में, सी. आई. आर. पी. से पहले और सी. आई. आर. पी. के दौरान मजदूरी/वेतन के प्रति श्रमिकों/कर्मचारियों के दावों पर विचार किया जाना आवश्यक है।

9. यह विवादित नहीं हो सकता है कि आई. बी. संहिता की धारा 5 (13) के अनुसार, "दिवाला समाधान प्रक्रिया लागत" में समाधान पेशेवर द्वारा कॉर्पोरेट देनदार के व्यवसाय को चलाने में होने वाली कोई भी लागत शामिल होगी।यह भी सच है कि आई. बी. संहिता की धारा 20 यह अनिवार्य करती है कि अंतरिम समाधान पेशेवर/समाधान पेशेवर को एक चालू चिंता के रूप में निगमित देनदार के संचालन का प्रबंधन करना है और यदि सी. आई. आर. पी. के दौरान निगमित देनदार एक चालू चिंता का विषय था, तो ऐसे कामगारों/कर्मचारियों के वेतन/वेतन जो वास्तव में काम करते थे, सी. आई. आर. पी. लागत में शामिल किए जाएंगे और निगमित देनदार के परिसमापन के मामले में, ऐसे कामगारों/कर्मचारियों के वेतन और वेतन के लिए बकाया, जिन्होंने वास्तव में तब काम किया जब निगमित देनदार सी. आई. आर. पी. के दौरान एक चालू चिंता का हिस्सा था, सी. आई. आर. पी. लागत का एक हिस्सा होने के नाते पहली प्राथमिकता के हकदार हैं और उन्हें आई. बी. संहिता की धारा 53 (1) (ए) के अनुसार पहले पूरी तरह से भुगतान किया जाना चाहिए।इसलिए, सी. आई. आर. पी. के दौरान देय मजदूरी/वेतन के प्रति संबंधित श्रमिकों/कर्मचारियों के दावों पर विचार करते समय, सबसे पहले यह स्थापित करना होगा और यह साबित करना होगा कि सी. आई. आर. पी. के दौरान, निगमित ऋणी एक चालू संस्था थी और संबंधित कर्मचारी/कर्मचारी वास्तव में काम करते थे जबकि निगमित ऋणी सी. आई. आर. पी. के दौरान एक चालू संस्था थी। सी. आई. आर. पी. के दौरान निगमित देनदार के अन्य सभी कर्मचारियों/कर्मचारियों के वेतन और वेतन, जिन्होंने वास्तव में काम नहीं किया है और/या अपने कर्तव्यों का पालन नहीं किया है, जब निगमित देनदार एक चालू संस्था थी, सी. आई. आर. पी. लागत में स्वचालित रूप से शामिल नहीं किया जाएगा।केवल उन श्रमिकों/कर्मचारियों के संबंध में जिन्होंने वास्तव में सी. आई. आर. पी. के दौरान काम किया था जब कॉर्पोरेट ऋणदाता एक चालू संस्था थी, उनके वेतन/वेतन को सी. आई. आर. पी. लागत में शामिल किया जाना है और आई. बी. संहिता की धारा 53 (1) (ए) के अनुसार अन्य सभी बकाया राशि पर उनकी पहली प्राथमिकता होगी।निगमित देनदार के कर्मचारियों/कर्मचारियों के वेतन और वेतन के लिए किसी भी अन्य देय राशि को आई. बी. संहिता की धारा 53 (1) (बी) और धारा 53 (1) (सी) द्वारा नियंत्रित किया जाना चाहिए।किसी भी अन्य व्याख्या से बेतुके परिणाम होंगे और आई. बी. संहिता की धारा 53 आर/डब्ल्यू धारा 5 (13) की योजना का उल्लंघन होगा।यदि कोई अन्य व्याख्या, अधिक

ग

डी.

ई.

च

जी.

एच.

340

विशेष रूप से, अपीलकर्ताओं की ओर से प्रचार की गई व्याख्या को स्वीकार किया जाता है, उस मामले में, उन श्रमिकों/कर्मचारियों के वेतन/वेतन, जिन्होंने सी. आई. आर. पी. के दौरान बिल्कुल भी काम नहीं किया था, को सी. आई. आर. पी. लागतों में शामिल करना होगा और/या शामिल करना होगा, जो विधायिका का इरादा नहीं हो सकता है।10. आई. बी. संहिता की धारा 5 (13) के निष्पक्ष अध्ययन पर, जो "दिवाला समाधान प्रक्रिया लागत" को परिभाषित करता है, यह देखा और अभिनिर्धारित किया जाता है कि केवल उन श्रमिकों/कर्मचारियों के वेतन/वेतन के प्रति बकाया जो वास्तव में सी. आई. आर. पी. के दौरान काम करते थे, सी. आई. आर. पी. लागत में शामिल किया जाना है।श्रमिकों/कर्मचारियों के वेतन/वेतन के प्रति शेष दावे, जैसा कि ऊपर देखा गया है, आई. बी. संहिता की धारा 53 (1) (बी) और (सी) द्वारा शासित होंगे।

ग

11. वर्तमान मामले में, आर. पी./परिसमापक ने गंभीरता से विवाद किया है कि सी. आई. आर. पी. के दौरान, निगमित ऋणदाता एक चालू चिंता थी।यह गंभीर रूप से विवादित है कि संबंधित अपीलकर्ता-दहेज यार्ड और मुंबई मुख्य कार्यालय में कार्यरत कर्मचारी/कर्मचारी वास्तव में सी. आई. आर. पी. के दौरान काम करते थे। यह सच है कि सी. आई. आर. पी. लागतों के प्रति दावे प्रस्तुत करते समय, आर. पी. ने अपीलार्थियों के वेतन/वेतन के प्रति दावे प्रस्तुत नहीं किए हैं, हालांकि, अभी भी अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत किए गए/प्रस्तुत किए जाने वाले दावों पर निर्णय लेना होगा और परिसमापक द्वारा विचार किया जाना होगा और परिसमापक को निर्णय लेना होगा और विचार करना होगा, (i) क्या सी. आई. आर. पी. के दौरान निगमित देनदार एक चालू चिंता थी; (ii) वास्तव में कितने श्रमिकों/कर्मचारियों ने सी. आई. आर. पी. के दौरान काम किया, जबकि निगमित देनदार एक चालू चिंता थी।

डी.

ई.

यदि संबंधित श्रमिकों/कर्मचारियों द्वारा किए गए दावों के निर्णय पर, यदि यह स्थापित हो जाता है और साबित हो जाता है कि सी. आई. आर. पी. के दौरान, निगमित ऋणदाता एक चालू चिंता थी और संबंधित श्रमिकों/कर्मचारियों ने वास्तव में सी. आई. आर. पी. के दौरान काम किया था जब निगमित ऋणदाता एक चल रहा था, तो ऐसे श्रमिकों/कर्मचारियों के वेतन और वेतन को आई. बी. संहिता की धारा 5 (13) के तहत परिभाषित सी. आई. आर. पी. लागतों में शामिल किया जाना चाहिए और उन्हें आई. बी. संहिता की धारा 53 (1) (ए) के तहत सी. आई. आर. पी. लागतों के हिस्से के रूप में आई. बी. संहिता की धारा 53 (1) (ए) के अनुसार ऐसे वेतन/वेतन का भुगतान करना होगा जो आई. बी. संहिता की धारा 53 (1) में उल्लिखित प्राथमिकताओं के अनुसार कोई भी भुगतान करने से पहले पूरा होगा।12. अब जहाँ तक अपीलार्थियों की ओर से यह निवेदन है कि आई. बी. संहिता की धारा 20 के अनुसार और इसके निर्णयों के अनुसार भी

च

जी.

स्विस रिबन्स प्राइवेट लिमिटेड (उपरोक्त) और गुजरात ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड के मामलों में न्यायालय बनाम.अमित गुप्ता (ऊपर), आर. पी. जनादेश के अधीन है

एक चालू संस्था के रूप में निगमित ऋणदाता के संचालन का प्रबंधन करना ए

एच.

341

सुनील कुमार जैन और अन्य बनाम सुंदरेश भट्ट और अन्य [एम. आर. शाह, जे.] ए.

और इसलिए यह माना जाना चाहिए कि सी. आई. आर. पी. के दौरान, निगमित ऋणदाता एक चालू चिंता थी, प्रबंधित और/या संचालित एक चालू चिंता के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता है।यह सच है कि आई. बी. संहिता की धारा 20 के तहत, यह आर. पी. का कर्तव्य है कि वह कॉर्पोरेट ऋणदाता के संचालन का प्रबंधन और संचालन करे।हालाँकि, धारा 20 में उपयोग किए गए शब्द हैं "अंतरिम समाधान पेशेवर इसके लिए हर संभव प्रयास करेगा।एक चालू संस्था के रूप में निगमित देनदार के संचालन का प्रबंधन करना।इसलिए, भले ही यह पाया जाए कि समाधान पेशेवर द्वारा सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद सी. आई. आर. पी. के दौरान निगमित देनदार एक चालू चिंता का विषय नहीं था, फिर भी यह नहीं माना जा सकता है कि सी. आई. आर. पी. अवधि के दौरान निगमित देनदार एक चालू चिंता का विषय था।यह प्रत्येक मामले के तथ्यों पर निर्भर करता है।किसी दिए गए मामले में, कॉर्पोरेट देनदार एक चालू चिंता हो सकती है और किसी दिए गए मामले में, कॉर्पोरेट देनदार एक चालू चिंता नहीं हो सकती है।इसलिए, अपीलकर्ताओं की ओर से प्रस्तुत करना कि चूंकि आर. पी. आई. बी. संहिता की धारा 20 के तहत एक चालू संस्था के रूप में निगमित ऋणदाता के संचालन का प्रबंधन करने के लिए अधिदेशित है और इसलिए यह माना जाना चाहिए कि आर. पी. ने निगमित ऋणदाता के संचालन को एक चालू संस्था के रूप में प्रबंधित किया और इसलिए श्रमिक/कर्मचारी सी. आई. आर. पी. के दौरान अपने वेतन और वेतन के हकदार हैं, क्योंकि उनके वेतन/वेतन को सी. आई. आर. पी. लागत में शामिल किया जाना स्वीकार नहीं किया जा सकता है।हालांकि, पूर्व-सी. आई. आर. पी. अवधि के श्रमिकों/कर्मचारियों के वेतन और वेतन को आई. बी. संहिता की धारा 53 (1) में उल्लिखित प्राथमिकताओं के अनुसार नियंत्रित करना होगा।

ग

डी.

ई.

भविष्य निधि**,** उपदान निधि और पेंशन निधि के लिए श्रमिकों**/**कर्मचारियों का बकाया **"**

13. अब जहाँ तक भविष्य निधि, उपदान और पेंशन के कारण श्रमिकों/कर्मचारियों के बकाया का संबंध है, वे आई. बी. संहिता की धारा 36 (4) द्वारा शासित होंगे।आई. बी. संहिता की धारा 36 (4) (iii) विशेष रूप से "परिसमापन संपदा परिसंपत्तियों" के दायरे से "भविष्य निधि, पेंशन निधि और उपदान निधि से किसी भी कर्मचारी या कर्मचारी को देय सभी राशियों" को बाहर करती है।इसलिए, आई. बी. संहिता की धारा 53 (1) ऐसे बकाया पर लागू नहीं होगी, जिन्हें आई. बी. संहिता के तहत परिसमापन प्रक्रिया और परिसमापन संपत्ति परिसंपत्तियों के बाहर माना जाना है।इस प्रकार, आई. बी. संहिता की धारा 36 (4) ने स्पष्ट रूप से भविष्य निधि, उपदान निधि और पेंशन निधि के तहत श्रमिकों के बकाया को पूरी तरह से सुरक्षा प्रदान की है, जिन्हें परिसमापन संपत्ति के रूप में नहीं माना जाना है और परिसमापक का इस तरह के बकाया पर कोई दावा नहीं होगा। इसलिए, संबंधित कर्मचारी/कर्मचारी ऐसी निधियों से भविष्य निधि, उपदान निधि और पेंशन निधि के हकदार होंगे जो विशेष रूप से बाहर रखी गई हैं।

च

जी.

एच.

परिसमापन संपदा परिसंपत्तियों का और आई. बी. संहिता की धारा 36 (4) के अनुसार, उनका उपयोग परिसमापन में वसूली के लिए नहीं किया जाना है।

14. उपरोक्त और ऊपर बताए गए कारणों को ध्यान में रखते हुए, यह निम्नानुसार माना जाता हैः

i) कि सी. आई. आर. पी. के दौरान अवधि के लिए निगमित देनदार के श्रमिकों/कर्मचारियों के वेतन/वेतन को सी. आई. आर. पी. लागतों में शामिल किया जा सकता है बशर्ते कि यह स्थापित हो और यह साबित हो कि अंतरिम समाधान पेशेवर/समाधान पेशेवर ने सी. आई. आर. पी. के दौरान एक चालू संस्था के रूप में निगमित देनदार के संचालन का प्रबंधन किया और यह कि निगमित देनदार के संबंधित श्रमिकों/कर्मचारियों ने वास्तव में सी. आई. आर. पी. के दौरान काम किया और ऐसी स्थिति में, उन श्रमिकों/कर्मचारियों के वेतन/वेतन जिन्होंने वास्तव में सी. आई. आर. पी. अवधि के दौरान काम किया जब समाधान पेशेवर ने निगमित देनदार के संचालन को चालू संस्था के रूप में प्रबंधित किया था, इसे भुगतान किया जाएगा और/या इसे सी. आई. आर. पी. लागतों के हिस्से के रूप में माना जाएगा और यह धारा 53 (1) के अनुसार पहले पूरी तरह से देय होगा।

ग

डी.

ii) आई. बी. संहिता की धारा 36 (4) पर विचार करते हुए और जब भविष्य निधि, उपदान निधि और पेंशन निधि को परिसमापन संपदा परिसंपत्तियों से बाहर रखा जाता है, तो श्रमिकों के बकाया के हिस्से को परिसमापन प्रक्रिया से बाहर रखा जाएगा और संबंधित श्रमिकों/कर्मचारियों को ऐसे भविष्य निधि, उपदान निधि और पेंशन निधि, यदि कोई हो, से इसका भुगतान करना होगा और परिसमापक का ऐसी निधियों पर कोई दावा नहीं होगा।

ई.

15. जैसा कि ऊपर देखा गया है, ऐसे विवादित प्रश्न हैं कि क्या वास्तव में आई. आर. पी./आर. पी. ने सी. आई. आर. पी. के दौरान एक चालू संस्था के रूप में निगमित देनदार के संचालन का प्रबंधन किया था और एक गंभीर विवाद है कि क्या दहेज यार्ड सी. आई. आर. पी. के दौरान चालू था या नहीं और एक गंभीर विवाद है कि दहेज यार्ड के संबंधित कर्मचारी/कर्मचारी और मुंबई मुख्य कार्यालय के संबंधित कर्मचारी वास्तव में सी. आई. आर. पी. के दौरान काम करते थे या नहीं और इसलिए यह निर्देश दिया जाता है कि अपीलकर्ताओं को परिसमापक के समक्ष अपने दावे प्रस्तुत करने दें और यह स्थापित करें और साबित करें कि सी. आई. आर. पी. के दौरान, आई. आर. पी./आर. पी. ने निगमित देनदार के संचालन को एक चालू संस्था के रूप में प्रबंधित किया और उन्होंने वास्तव में सी. आई. आर. पी. के दौरान काम किया और परिसमापक को ऐसे दावों का न्यायनिर्णयन करने का निर्देश दिया जाता है।

च

जी.

एच.

सी. आई. आर. पी. के दौरान वेतन सी. आई. आर. पी. लागत के रूप में या नहीं।परिसमापक को ऐसे दावों पर स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने का निर्देश दिया जाता है।यदि यह पाया जाता है कि वास्तव में आई. आर. पी./आर. पी. ने सी. आई. आर. पी. के दौरान कॉर्पोरेट देनदार के संचालन का प्रबंधन किया और संबंधित श्रमिकों/कर्मचारियों ने वास्तव में सी. आई. आर. पी. के दौरान काम किया, तो उनके वेतन और वेतन पर विचार किया जाए और सी. आई. आर. पी. लागतों में शामिल किया जाए और उन्हें आई. बी. संहिता की धारा 53 में उल्लिखित प्राथमिकताओं में राशि वितरित करने से पहले आई. बी. संहिता की धारा 53 (1) (ए) के अनुसार पूरा भुगतान करना होगा।उपरोक्त प्रक्रिया आज से बारह सप्ताह की अवधि के भीतर पूरी की जाएगी और ऐसी राशि का भुगतान उस राशि में से किया जाएगा जिसे पहले न्यायनिर्णायक प्राधिकरण/अपीलीय न्यायाधिकरण और उसके बाद इस न्यायालय द्वारा अलग रखने का निर्देश दिया जाता है।जब तक ऐसे दावों पर निर्णय नहीं लिया जाता है, तब तक परिसमापक को निर्देश दिया जाता है कि वह उक्त राशि को अलग रखे जिसका उपयोग विशेष रूप से श्रमिकों/कर्मचारियों के बकाया के लिए किया जाए, जिसका भुगतान उपरोक्त निर्णय पर किया जाना है।

ग

16. वर्तमान अपील को उपरोक्त सीमा तक आंशिक रूप से अनुमति दी गई है और तदनुसार निपटाया गया है।खर्चे की बाबत कोई आदेश नहीं |

डी.

दिव्या पांडे और अमरेंद्र कुमार

अपील की आंशिक रूप से अनुमति है।

(सहायकः अदनान खान, एलसीआरए)

ई.

च

जी.

एच.